

कार्यालय, गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक 2020/8015 /कोविड-19/इकाई संचालन हेतु/2020-21 दिनांक 11/May/2020

अनुमति पत्र

मैसर्स Pi Infotech LLP

A-11, Lower Ground Floor, Sect-67 Noida

कृपया अपने आनलाईन आवेदन पत्र संख्या 2020/8015 दिनांक 10/May/2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त आवेदन पत्र द्वारा इकाई Pi Infotech LLP को Services की मैनेजमेंट/सेवा कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। किये गये अनुरोध के क्रम में उ0पू0 सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संगत शासनादेशों के अनुपालन में लाकडाउन अवधि में सन्दर्भित इकाई को निम्नलिखित शर्तों के साथ कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

- 1- भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- परिसर के अन्दर श्रमिकों/कर्मिकों के मास्क एवं सेनीटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायेगी तथा कर्मिकों एवं श्रमिकों के सम्पर्क में आने वाली/बाहर जाने वाली समस्त वस्तुओं को सेनीटाइजेशन कराया जायेगा।
- 3-कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कर्मिकों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Social Distancing norms का अनुपालन करवाना होगा तथा कार्यस्थल पर तम्बाकू का सेवन करने एवं यत्र-तत्र थूकने पर दण्ड के भागी होंगे।
- 4-इकाई न्यूनतम श्रमिकों/कर्मिकों द्वारा संचालित की जायेगी।
- 5-कार्यस्थल पर आने वाले सभी श्रमिकों/कर्मिकों को उनकी संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग हेतु इन्फ्रारेड थर्मामीटर/थर्मल स्क्रीनर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। हर एक पार्टी के उपरान्त कार्यस्थल को सेनीटाइजेशन किया जायेगा।
- 6-किसी कर्मिक/श्रमिक में किसी भी प्रकार के बीमारी के लक्षण दिखायी देने पर तत्काल सक्षम प्राधिकारी/स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया जायेगा तथा उसके सम्पूर्ण इलाज की जिम्मेदारी इकाई के स्वामी की होगी।
- 7-इकाई को प्रारम्भ करने से पूर्व श्रमिकों/कर्मचारियों का RT-PCR TEST RANDOM आधार पर कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनमें Infection Circulate नहीं कर रहा है।
- 8- इकाई में कार्य के लिये आने वाला कोई भी श्रमिक/कर्मचारी/अधिकारी Hot-Spot/containment Zone से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए।
- 9-आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के संगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10-उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर दी गयी अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी का नाम/पदनाम